प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 25 मई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 30 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-21589/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2026-27, दिनांक 18-05-2026, पत्र संख्या-21675/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2026-27, दिनांक 19.05.2026 एवं पत्र संख्या-21787/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2026-27, दिनांक 20.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 30 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 19,73,88,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में देवबन्द कुटेसरा (अ0जि0मा0) मार्ग के	61 /2024/503772/23-1-24/001-23-1002	1027.30 1027.30 629.43 94.16	729.60	203.54	90.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	(002)/39 /2024- दिनांक-23-02-2024	933.14			
2	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगनहर पटरी से बालू माजरा लौटनी निजानन्द आश्रम होते हुए देवबन्द जखवाला अम्बेहटा मोहन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	125 /2025/आई/900584/ 23-1-25/003-23- 1002(002)/225/2024 -दिनांक-07-03-2025	1825.18 1825.18 685.79 258.16 1567.02	329.61	1237.41	120.00
3	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में नानौता देवबन्द मंगलौर मार्ग से सर्विस रोड होते हुए मुश्कीपुर मार्ग के चैनेज 0.000 से 3.550 तक (अ0जि0मा0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	165 /2025/आई/918928/ 23-1-25/002-23- 1002(002)/208/2024 -दिनांक-26-03-2025	760.52 760.52 272.70 1.40 759.12	107.60	651.52	100.00
4	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में रणखण्डी से जड़ौदा जट्ट नगलीनूर कुरलकी होते हुए थिथकी (अ0जि0मा0) चैनेज 3.200 से 9.100 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	463 /2025/आई/1112709 /23-1-25/001-23- 1002(002)/225/2025 दिनांक 10.10.2025 - दिनांक-10-10-2025	1362.52 1362.52 758.23 51.75 1310.77	133.86	1176.91	120.00
5	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सर्विस रोड से चिराऊ होते हुए कल्लनहेड़ी भटपुरा मार्ग के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	469 /2025/आई/1116395 /23-1-25/001-23- 1002(002)/239/2025 दिनांक 14.10.2025 - दिनांक-14-10-2025	1501.73 1501.73 698.37 41.49 1460.24	148.06	1312.18	120.00
6	नि.ख. सहारनपुर	देवबन्द राजकीय कन्या इन्टर कालेज से तलहेड़ी खुर्द मानकी होते हुए मिरगपुर मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	41 /2026/आई/1213642 /23-1-26/001-23- 1002(002)/12/2026- दिनांक-22-01-2026	1395.22 1395.22 835.94 111.57 1283.65	136.57	1147.08	100.00
7	नि.ख. सहारनपुर	खेड़ा अफगान हरपाल उमाही कलां (घसौती) रामपुर मनिहारान मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के	41 /2026/आई/1213642 /23-1-26/001-23- 1002(002)/12/2026- दिनांक-22-01-2026	1681.41 1681.41 969.45 121.18 1560.23	165.01	1395.22	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चैनेज 7.000 से 14.300 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
8	नि.ख. सहारनपुर	दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से ग्राम खुड़ाना-सोना अर्जुनपुर मार्ग।	118 /2026/आई/1252972 /23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026- दिनांक-26-02-2026	78.25 78.25 48.66 10.33 67.92	3.65	64.27	10.00
9	नि.ख. सहारनपुर	शब्बीरपुर में पहले भट्टे से दूसरे भट्टे तक बाईपास मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	99.71 99.71 70.82 1.67 98.04	4.65	93.39	10.00
10	नि.ख. सहारनपुर	देवबन्द कुटेशरा (अन्य जिला मार्ग) से रणखण्डी वाया काकनपुरा मार्ग।	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	129.42 129.42 86.21 13.18 116.24	6.15	110.09	10.00
11	नि.ख. सहारनपुर	डी0एन0एस0 से चन्दपुर मजबता होते हुए दल्हेड़ी तक (सर्विस रोड का शेष भाग) तक मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	196.55 196.55 131.20 15.45 181.10	9.16	171.94	20.00
12	नि.ख. सहारनपुर	सर्विस रोड से खुदाबक्शपुर तक मार्ग।	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	72.52 72.52 51.14 2.70 69.82	3.38	66.44	10.00
13	नि.ख. सहारनपुर	रामपुर.गंगोह मार्ग से दल्हेडी होते हुए नानौता.देवबन्द.मंगलौर मार्ग तक नव निर्माण	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	247.79 247.79 154.74 38.35 209.44	11.87	197.57	20.00
14	नि.ख. सहारनपुर	घटेडा मुण्डीखेड़ी अलगोवा मार्ग से उमरी सड़क तक मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	73.99 73.99 39.28 14.68 59.31	3.53	55.78	20.00
15	नि.ख.-3 सहारनपुर	सिराज पुर सैयद गंगोह मार्ग से नाई माजरा होते हुए यमुना बन्धे तक मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	145.34 145.34 80.15 2.85 142.49	7.09	135.40	46.00
16	नि.ख.-3 सहारनपुर	मकारमपुर से टापू मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	81.14 81.14 38.43 1.20 79.94	3.80	76.14	55.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
17	नि.ख.-3 सहारनपुर	कलरी से चालाकपुर रोड कुलदीप सरदार के डेरे तक मार्ग।	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	125.46 125.46 60.35 1.60 123.86	5.87	117.99	70.00
18	नि.ख.-3 सहारनपुर	मानकपुर सादात में बस अड्डे से ग्राम चालाकपुर के शमशान घाट से होते हुये कली मार्ग तक	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	61.21 61.21 33.72 1.10 60.11	2.87	57.24	40.00
19	प्रा.ख. सहारनपुर	हसनगंज चुंगी से सर्किट हाउस मार्ग होते हुए एस0एन0जी0टी0 मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 3.7000 मे सुदृढ़ीकरण कार्य	606 /2025/आई/1152434 /23-1-25/001-23-1002(002)/282/ 2025-दिनांक-26-11-2025	939.77 939.77 560.00 88.34 851.43	91.74	759.69	90.00
20	प्रा.ख. सहारनपुर	बरौली जहानपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 1 से 12 तक (अ0जि0मा0) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	41 /2026/आई/1213642 /23-1-26/001-23-1002(002)/12/2026- दिनांक-22-01-2026	1334.27 1334.27 787.44 43.17 1291.10	130.26	1160.84	90.00
21	प्रा.ख. सहारनपुर	नौगावां से ग्राम जाटोवाला तक मार्ग	118 /2026/आई/1252972 /23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026- दिनांक-26-02-2026	402.58 402.58 223.52 9.47 393.11	19.19	373.92	100.00
22	प्रा.ख. मुजफ्फरन गर	हाशिमपुर रोड से रामराम कोटला माता मन्दिर मार्ग	118 /2026/आई/1252972 /23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026- दिनांक-26-02-2026	61.19 61.19 31.04 9.23 51.96	0.72	51.24	47.10
23	प्रा.ख. मुजफ्फरन गर	अहरोडा से बसायच तक मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	53.95 53.95 38.84 0.50 53.45	0.63	52.82	49.17
24	प्रा.ख. मुजफ्फरन गर	गंगनहर से नंगला मुबारिकपुर मार्ग	120 /2026/आई/1252367 /23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	22.95 22.95 14.20 0.94 22.01	0.27	21.74	20.18
25	प्रा.ख. शामली	कैराना तितरवाड़ा इस्सोपुरटील मार्ग पर सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1064 /2023/आई/451731/ 23-1-23/003-23-1002(002)/215/2023 -दिनांक-19-12-2023	622.08 622.08 331.26 29.58 592.50	492.50	100.00	100.00
26	प्रा.ख. शामली	शामली मालेण्डी दुल्लखेड़ी मार्ग के किमी0-19 से	78 /2024/आई/510580/	232.35 232.35 17.73	177.08	40.00	40.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		जहांगीर रजवाहा पटरी मार्ग।	23-1-24/001-23-1002(002)/50 /2024 - दिनांक-04-03-2024	15.27 217.08			
27	प्रा.ख. शामली	जनपद शामली में दुल्लाखेड़ी से बुन्टा राजवाहे की पटरी होते हुए गंदेवडा (संगम) अन्य मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	602 /2024/आई/792865/ 23-1-24/001-23-1002(002)/169/2024 -दिनांक-11-11-2024	1262.38 1262.38 678.38 150.92 1111.46	923.13	188.33	113.00
28	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	पुरा मुबारिकपुर से गोयला, मण्डावली मार्ग पर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	431 /2025/आई/1107351 /23-1-25/003-23-1002(002)/191/2025 दिनंाक 03.10.2025 - दिनांक-03-10-2025	965.71 965.71 506.80 87.91 877.80	94.35	783.45	150.00
29	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	खेड़ी सराय से शाहपुर बटावली को जोड़ने वाला मार्ग टावर तक मार्ग।	118 /2026/आई/1252972 /23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026- दिनांक-26-02-2026	174.00 174.00 112.11 21.56 152.44	8.20	144.24	80.43
30	प्रा.ख. शामली	जनपद शामली में मस्तगढ़ नहर के पुल से कैल षिकारपुर मार्ग (पूर्व नाम-थानाभवन कैल षिकारपुर मार्ग) अन्य जिला मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	611/2024/आई/795305/23-1-2024/001-23-1002(002)/155/2024 -दिनांक-14-11-2024	393.72 393.72 208.70 15.53 378.19	345.19	33.00	33.00
						कुल योग-	**1973.88**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 19,73,88,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-451/2026/आई/1341801(1)/23-1-26/001-23-1002(002)/286/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।